

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-११२३ श्री नवीन वर्मा भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (यथा संशोधित 2000) की धारा 10(बी) के तहत बिहार राज्य वित्तीय निगम के निदेशक पद में निदेशक के रूप में अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- _____/दिनांक-

सं०सं०-6(स०)/स्था०वि०नि०/09/2001

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- _____/दिनांक-

सं०सं०-6(स०)/स्था०वि०नि०/09/2001

प्रतिलिपि:- श्री नवीन वर्मा, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- २१२३ _____/दिनांक- १३/५/१३

सं०सं०-6(स०)/स्था०वि०नि०/09/2001

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव ।
2. वित्त विभाग, (लोक उद्यम ब्यूरो) बिहार, पटना ।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना ।
4. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, एस०एम०ई०विकास केन्द्र, सी-11, जी० ब्लौक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई-400051
5. उद्योग मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव ।
6. प्रबन्धक निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम ।
7. निदेशक उद्योग/ तकनीकी विकास, बिहार, पटना ।
8. प्रशाखा पदाधिकारी -6(स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को 2 (दो) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बिहार
10-05-13

सरकार के अवर सचिव ।

Bino
10/5